

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) ए.सी.पी/1992 स्पे.- III/386

दिनांक:- 31-5-2022

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।

विषय :- तृतीय एसीपी प्रकरणों में कमी पूर्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों से निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में निम्नांकित कमियाँ पाई गई हैं:-

क.सं	नाम कार्मिक सर्वश्री	मेरिट/ बैच सं.	आक्षेप का विवरण
1.	प्रभाती लाल मीणा	102/92 स्पे.	सीसीए नियम 17 में 1 वर्ष के दण्ड के कारण 1 वर्ष देरी से स्वीकृत होगा।
2.	नरपत सिंह शेखावत	28/92	सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र पर कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। द्वितीय एसीपी स्वीकृति के आदेश अप्राप्त।
3.	हीरालाल बेनीवाल	64/92	कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के निर्देशानुसार सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
4.	राजेन्द्र	95/92	कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के निर्देशानुसार सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
5.	राजेश कुमार खंडेलवाल	112/92	सीसीए-17 में ज्ञापन जारी
6.	सुल्तान सिंह यादव	145/92	कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के निर्देशानुसार सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
7.	लल्लू नारायण शर्मा	295/92	कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के निर्देशानुसार सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
8.	ओमप्रकाश मूंथा	408/92	कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के निर्देशानुसार सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
9.	त्रिलोक चन्द शर्मा	415/92	कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के निर्देशानुसार सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।

सम्पत्ति की सूचना कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी SSO-ID पर अपलोड करावें, अन्य कमी पूर्ति की जाकर प्रकरण प्रेषित करावें, जिससे तृतीय एसीपी के प्रकरणों को स्वीकृत किया जा सकें।



(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)